

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती

(जिला बस्ती राज्य, उत्तर प्रदेश)

पत्र संख्या/मान्यता/14549-1460/2017-18 दिनांक 30.12.2017

प्रबन्धक,
दिल्ली स्कूल आफ एक्सीलेंस,
हवेलीखास, बस्ती।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपबन्ध (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31-8-2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं दिल्ली स्कूल आफ एक्सीलेंस, हवेलीखास, बस्ती को तारीख 01 अप्रैल 2017 से तारीख 31 मार्च 2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एल0के00जी0 से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने के संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त संजुरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है:-

- मान्यता की संजुरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिए कोई बाधता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या स्थितिस्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन संसूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिष्ठित किया जायेगा। ऐसी प्रतिष्ठितों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
- सोसहटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्वीकृत प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
(क) प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निस्कासित नहीं किया जायेगा।
(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
(ङ) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त अथवा विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
(च) अध्यापकों की शर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
(छ) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक के रूप में किसी निजी अध्यापन क्रिया-कलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- विद्यालय समुचित अधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों का बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रासुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
(क) विद्यालय परिसर का परिक्षेत्र उपलब्ध है।

Principal
Delhi School of Excellence
Havelli Khas-Basti

Principal
Delhi School of Excellence
Havelli Khas-Basti
Manager

For-Delhi School of Excellence

Manager
Delhi School of Excellence
Havelli Khas-Basti

Principal
Delhi School of Excellence
Havelli Khas-Basti

(ख) क्रीडा स्थल उपलब्ध है।

(ग) कक्षाओं की संख्या 10 कमरा।

(घ) प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्ष है।

(ङ) बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय है।

(च) पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।

(छ) मिड डे मील पकाने के लिए रसोई है।

बाधा रहित पहुँच है।

(ज) अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेल कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता है।

9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उससे बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय अवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. शासक विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या-कोड-BSR-VPS(1-6)E/12/13 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस विद्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी बातों के संतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

17. संलग्न उपबंध के अनुसार अद्यतन करें।

18. उपराक्त मान्यता संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार पर एवं संबंधित प्रबंधक के द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र के आधार पर प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोप्य प्रमाणित होता है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

भवदीय

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बस्ती

संख्या 10/2019/अकादमी

तिलिपि, शिक्षा निदेशक को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेषित-

1. संलग्न शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर/बस्ती मण्डल।

2. संलग्न खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-बस्ती।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बस्ती

Bena Singh

Principal
Delhi School of Excellence
For-Delhi School of Excellence

For-Delhi School of Excellence

Bena Singh

Manager

For-Delhi School of Excellence

Bena Singh

Manager

Bena Singh

Manager

Principal
Delhi School of Excellence
For-Delhi School of Excellence
Haveli Khas-Basti

Principal
Delhi School of Excellence
Haveli Khas-Basti

School Code : 71455

Aff. No. : 2133196

Mob. : 8115081120, 8787297846



DELHI SCHOOL OF EXCELLENCE

(Affiliated to CBSE New Delhi)

A CO-EDUCATIONAL ENGLISH MEDIUM, DAY/RESIDENTIAL SCHOOL

Dhorika Road, Near Krishna Mission Hospital, Badeban, BASTI (U.P.) 272001

e-mail : delhischoolbasti@gmail.com || Website : www.delhischoolofexcellence.com

Ref. No.

Date/...../.....

Self Declaration

This is certify that Delhi school of Haveli khas Basti, Affiliated with CBSE.

This school was also recognised by State government under Act 2009. and got the certification had got renewed till March 2024. and applied for extension.

Principal
Delhi School of Excellence
Haveli Khas-Basti